न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 319 / 2023 अपील (GCMS 2023/365)
पंजीयन दिनांक— 21 / 11 / 2023
निर्णय दिनांक— 28 / 28 / 2024

1. श्री देईचंद उर्फ देहीचंद दत्तक पुत्र मांगू गुर्जर, निवासी सोजी का खेड़ा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।

—अपीलांट

बनाम

1. श्री सुवा पिता ज्वारा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।
2. **श्री लाखा पिता ज्वारा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा मृतक के बजायः—**

1. श्री दिलखुश पिता लाखा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।
2. श्री विनोद पिता लाखा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।
3. श्री लक्ष्मण पिता लाखा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।
4. श्री हरजी पिता लाखा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।
5. श्री भंवर पिता लाखा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।

6. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि लाखा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।

3. श्री बक्षु पिता ज्वारा गुर्जर, निवासी सोजी का खेडा, तहसील आसींद, जिला भीलवाडा।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसींद, जिला भीलवाडा।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः—

1.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री अशोक साहु	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट 4

अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 13/2018
(प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 26.02.2020

निर्णय

दिनांक 28/08/2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 16/2022 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 13.10.2023 के विरूद्ध दिनांक 08.11.2023 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोजी का खेडा तहसील आसीन्द की आराजी संख्या 298 रकबा 0.95

हैक्ट. में से 0.45 हैक्ट. व आराजी संख्या 299 रकबा 0.90 हैक्ट. भूमि में से 0.25 हैक्ट. भूमि आवंटन/नियमन दिनांक 29.10.2021 को रेस्पोडेंट्स के नाम प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत रतनपुरा पर की गयी, जिसमें इस आवंटन/नियमन की गयी भूमि पर आवंटी का संवत् 2064 से कब्जा काश्त होना बताकर अतिक्रमी मानकर आवेदन प्रस्तुत करने पर आवंटी को पात्र मानकर आवंटन आदेश पारित किया गया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। विवादित आराजियात के दक्षिण दिशा में अपीलांट की खाता संख्या 49 की खातेदारी आराजी नम्बर 297 रकबा 1.30 हैक्ट. भूमि स्थित हैं। उक्त आराजी में से कुछ हिस्सा मुख्य सडक आराजी नम्बर 300 की तरफ का हिस्सा संपरिवर्तन कराया गया। अपीलांट की आराजी और मुख्य सडक के बीच बिलानाम आराजी संख्या 299 में स्थित हैं, जो सडका का भाग हैं। खसरा संख्या 298 सरकारी भूमि हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के विपरीत होकर बार्ड बाय लॉ हैं। विवादित आराजी संख्या 298 रकबा 0.95 हैक्ट. में से 0.45 हैक्ट. भूमि तथा आराजी संख्या 299 रकबा 0.90 हैक्ट. में से 0.25 हैक्ट. भूमि का आवंटन/नियमन रेस्पोडेंट्य के नाम किया गया जो गलत हैं। पटवार हल्का व भू. अ.नि. की अतिक्रमित भूमि के नियमन की रिपोर्ट दिनांक 21.02. 2022 के कॉलम संख्या 05 के अनुसार विवादित आराजी 299 रकबा 0.90 हैक्ट. में से 0.06 हैक्ट. भूमि ही नियमन योग्य मानी, फिर भी आवंटन/नियमन सलाहकार कमेटी द्वारा नियमों के विपरीत जाकर पक्की सडक के पास उक्त आराजी में से 0.25 हैक्ट. भूमि का आवंटन/नियमन कर नियम विरूद्व आदेश पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य हैं। प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा रेस्पोडेंट्य को किये गये आवंटन/नियमन आदेश में कोई दिनांक अंकित नहीं हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय का

नाम खाली हैं। दिनांक व स्थान के कॉलम खाली पडे हैं। सिपुर्दगीनामा पत्र में भी दिनांक व डिस्पेच क्रमांक अंकित नहीं हैं। प्रकरण में आवंटन सलाहकार कमेटी के पूर्ण सदस्य उपस्थित नही होने से कमेटी अपूर्ण थी। कमेटी की सदस्य विकास अधिकारी आसीन्द, विधायक आसीन्द, प्रधान, पंचायत समिति आसीन्द के आवंटन/नियमन की प्रक्रिया में हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त आवंटन बिना उदघोषणा के जारी किया गया, जबकि आवंटन से पूर्व आंवटन की उद्घोषणा जारी की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जानी चाहिये थी। इस प्रकार रेस्पोडेंट्स को किया गया आवंटन/नियमन विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि विपक्षीगण को ग्राम सोजी का खेडा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील आसीन्द की आराजी संख्या 298 रकबा 0.95 हैक्ट. में से 0.45 हैक्ट. व आराजी संख्या 299 रकबा 0.90 हैक्ट. में से 0.25 हैक्ट. भूमि का विपक्षीगण के नाम पर किया गया आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 29.10.2021 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 16/2022 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 13.10.2023 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.10.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:—'' *प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) एवं नियम 20 उपनियम 01 व 02 अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी आवंटी को ग्राम सोजी का खेडा पटवार हल्का रतनपुरा तहसील, आसीन्द की आराजी संख्या 298 रकबा 0.45 हैक्ट. व आराजी संख्या 299 रकबा 0.25 हैक्ट. भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की*

प्रति मय तलबिदा रिकार्ड उपखण्ड कार्यालय आसीन्द एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को संप्रेषित की जावे।"

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक साहु द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर तथा वक्त बहस उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 21.08.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि पटवार हल्का व भू.अ.नि. की अतिक्रमित भूमि के नियमन की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2022 के कॉलम संख्या 05 के अनुसार विवादित आराजी 299 रकबा 0.90 हैक्ट. में से 0. 06 हैक्ट. भूमि ही नियमन योग्य मानी, फिर भी आवंटन/नियमन सलाहकार कमेटी द्वारा नियमों के विपरीत जाकर पक्की सडक के पास उक्त आराजी में से 0.25 हैक्ट. भूमि का आवंटन/नियमन कर नियम विरूद्व आदेश पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य हैं। प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा रेस्पोडेंट्स को किये गये आवंटन/नियमन आदेश में कोई दिनांक अंकित नहीं हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय का नाम खाली हैं। दिनांक व स्थान के कॉलम खाली पडे हैं। सिपुर्दगीनामा पत्र में भी दिनांक व डिस्पेच क्रमांक अंकित नहीं हैं। प्रकरण में आवंटन सलाहकार कमेटी के पूर्ण सदस्य उपस्थित नही होने से कमेटी अपूर्ण थी। कमेटी की सदस्य विकास अधिकारी आसीन्द, विधायक, आसीन्द, प्रधान, पंचायत समिति आसीन्द के आवंटन/नियमन की प्रक्रिया में हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त आवंटन बिना उदघोषणा के जारी किया गया, जबकि आवंटन से पूर्व आंवटन की उद्घोषणा जारी की जाकर

आपत्तियां आंमत्रित की जानी चाहिये थी। इस प्रकार रेस्पोडेंट्स को किया गया आवंटन/नियमन विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोडेंट्स को ग्राम सोजी का खेडा पटवार हल्का रतनपुरा, तहसील आसीन्द की आराजी संख्या 298 रकबा 0.95 हैक्ट. में से 0.45 हैक्ट. व आराजी संख्या 299 रकबा 0.90 हैक्ट. में से 0.25 हैक्ट. भूमि का रेस्पोडेंट्स के नाम पर किया गया आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 29.10.2021 विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि प्रश्नगत आराजी संख्या 298 व 299 आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि की श्रेणी में आने से आवंटन कमेटी द्वारा जांच कर रेस्पोडेंट्स को नियमानुसार आवंटन किया गया हैं। अपीलांट द्वारा भूमि के आंशिक भाग को सम्मपरिवर्तन करा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकानें बना देने मात्र से रेस्पोडेंट्स की भूमि के आगे अवस्थित बिलानाम भूमि को आवंटित करने से नहीं रोका जा सकता हैं। अपीलांट ने अपनी जायदाद की कीमत बढाने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में अपील पेश की हैं। उक्त आवंटित भूमि पर सन् 1996 से पूर्व से ही रेस्पोडेंट्स के कच्चे घर बने हुये हैं व फसल काश्त कर रहें है। उक्त आवंटित भूमि पर काश्त करने के संदर्भ में भी खसरा गिरदावरी भी हो रखी हैं। अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। आवंटीगण ने आवंटन नियमों की विधिवत् पालना की हैं। रेस्पोडेंट्स सद्भाविक काश्तकार हैं। रेस्पोडेंट्स द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाने के संबंध में प्रमाणस्वरूप खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत है। रेस्पोडेंट्स को विधिवत् तोर उक्त आराजियात का आवंटन किया गया है जिसके प्रमाण स्वरूप आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड क्षैत्र आसीन्द मुकाम जिन्द्रास का बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 13.12.2021 की प्रमाणित प्रति पेश हैं जिसमें सलाहकार समिति

के सदस्यों के हस्ताक्षर किये हुये हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मिथ्या अपील प्रस्तुत की है जो निरस्तनीय हैं। निवेदन हैं कि अपीलांट की अपील असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आवंटन/अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जावे।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 4 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवाल ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 13.10.2023 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 16/2022 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 13.10.2023 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में तहसीलदार, आसींद, जिला भीलवाडा द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 20.06.2024 से अवगत कराया कि उक्त नियमन रेस्पोडेंट के 01.01.2015 से पूर्व के कब्जे के आधार पर नियममानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन सलाहकार कमेटी की बैठक दिनांक 13.12.2021 को मुकाम जिन्द्रास पर होना एवं सभी सदस्यों के बैठक पंजिका में हस्ताक्षर से स्पष्ट है। उक्त भूमि का नियमन किया गया न कि आवंटन। सिवायचक भूमियों को भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन करने पर नियमानुसार आवेदन हेतु उद्घोषणा जारी की जाती है।

उक्त प्रसंग में कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात का अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मुकाम जिन्द्रास पर बैठक पंजिका अनुसार दिनांक 13.12.2021 को नियमानुसार आवंटित की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड़ अधिकारी की आवंटन पत्रावली के परीक्षण से जाहिर आया कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन, पटवार हल्का रतनपुरा का ग्राम सोजी का खेडा के मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 28.01.2022 अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होने से आवंटन सलाहकार समिति ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में विधिवत् तौर पर आवंटन किया जाना स्पष्ट होता हैं। उक्त आवंटन हेतु आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा आवंटित प्रश्नगत आराजियात का पूर्ण परीक्षण करवाने के उपरांत नियमानुसार आवंटन किया गया हैं, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। अपील में अपीलांट ने अंकित किया कि उक्त आवंटन हेतु कोई आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नही की गयी एवं न ही आवंटन सलाहकार समिति के कोई हस्ताक्षर आदि हैं। इस संबंध में विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त आवंटन के संबंध में आवंटन सलाहकार समिति क्षैत्र आसीन्द की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर दिनांक 13.12.2021 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं, जिस अनुसार वक्त आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरशुदा हैं। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटी को कब्जा सुपुर्द कर उक्त आवंटित कृषि भूमि को संवत् 2078 से गैर खातेदारी हक से आवंटी को ग्राम सोजी का खेडा में आराजी संख्या 298 रकबा 0.45 हैक्ट. एवं आराजी संख्या 299 रकबा 0. 25 हैक्ट. भूमि आवंटन आदेश जारी किये गये जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। उक्त आवंटन के आवंटन शर्तों की पालना के संदर्भ में रेस्पोडेंट्स आवंटी द्वारा खसरा गिरदावरी की प्रतियां पेश की गयी जिसमें आवंटी ने उक्त आवंटित कृषि भूमि पर,

विभिन्न कृषि जोत करना दर्शाया हुआ हैं, जिससे जाहिर होता हैं कि रेस्पोडेंट्स आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना की हैं। अपीलांट ने अपील में अंकित किया कि रेस्पोडेंट्स आवंटी द्वारा आवंटन नियमों व शर्तों की पालना नही की गयी, परन्तु अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया, जिससे जाहिर हो कि रेस्पोडेंट्स आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी हो, एवं न ही अपीलांट ने ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया, जिससे जाहिर हो कि रेस्पोडेंट्स आवंटी को मिस रिप्रजेन्टेशन या फ्रोड तरीके से प्रश्नगत आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हो। उपरोक्तानुसार अपीलांट की अपील आधारहीन व तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं।

- उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहिन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 13.10.2023 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर